तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व इहकाम जो ... की तामील में
10/5/24	वकुलाए फरीकेन उप० PO साहब अवकाश पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 16/5/24 को पेश हो।	
16/5/24	वकुलाए फरीकेन उप० PO साहब के.व.का/21 पर पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 27/5/24 को पेश हो।	
27/5/24	वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 10/6/24 को पेश हो।	
10/6/24	वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 25/6/2024 को पेश हो।	
25/6/24	वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 16/7/24 को पेश हो।	
16/7/24	वकुलाएं फरीकेन उप.। पी. पीन अधिकारी ~~में व्यस्त~~ अवकाश पर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/7/24 को पेश हो।	
27/7/24	वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 1/8/24 को पेश हो।	
	वकुलाए फरीकेन ... । PO साहब अन्य का... पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार ... 8/8/24 को पेश हो।	
8.8.24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप.। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 22.8.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Ka...
Date: 2024.11.22 14:22:0...
Reason: SelfAttested

प्रकरण स. 17-2017 हरबन्स सिंह vs तहसीलदार (रा.प.क.) संगरिया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.8.24	**वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 10/9/24 को पेश हो।**	
[illegible].24	**वकुलाए फरीकेन उपस्थित । PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते पूर्वानुसार दिनांक 10/18/24 को पेश हो।**	
18.10.24	वकील वादी उप.। PO साहब अवकाश पर होने से वास्ते पत्रावली दिनांक 5.11.24 को पेश हो।	
[illegible].11.2024	प्रार्थीगण हरबन्स सिह पुत्र श्री जसवन्त सिह, जसवन्त सिह पुत्र श्री सुरजन सिह जाति आराई निवासी मानकसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 18 एमकेएस प.न. 156/228 मु.न. 10 के किला नं. 5,6,15,16,25 में स्वीकृत खाला का निरस्त कर उसके स्थान पर रास्ता स्वीकृत करने निवेदन किया गया। प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 91 दिनांक 28.01.19 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नही है। चक 18 एमकेएस के पं.न. 157/227 मु.न. 4 के किला नं. 2,9,12 में पश्चिमी से उतर दक्षिण होते हुये रास्ता निकटतम रास्ते पत्थर लाईन 227 से मिलान हो सकता है। प्रार्थी संख्या 2 मु.न. 10 के किला नं. 6,15,16,25 में खाले को निरस्त करवाकर मु.न. 9 के किला नं. 1 को निकटतम व आसान मानता है जबकि बिन्दु संख्या 2 में वर्णित रास्ता आसान है। वर्तमान में कोई विकल्प नही है आवेदित रास्ता खाला को निरस्त करवाकर मन्जूर करवाना चाहता है। जबकि मु.न. 4 में परिवार की जमीन रास्ते पर है। रास्ता की जमीन मे से रास्ते के लिए वाद प्रस्तुत करना उचित है वर्तमान में वाद भिन्न जगह से रास्ते के लिए है। तथा अप्रार्थी संख्या 3 लाधूराम ने प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य गलत एवं मिथ्या वर्णित किये गये है जो अस्वीकार है। प्रार्थीगण को खाला निरस्त करवा रास्ता मंजूर करवाने की कोई अधिकारिता प्राप्त नही है ऐसी स्थिति में बिना प्रार्थना पत्र कारण के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन है जो कि खारिज किये जाने योग्य है का कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र खाला के स्थान पर रास्ता दर्ज किये जाने हेतु विचाराधीन रहा है जबकि तहसीलदार राजस्व संगरिया ने अपनी रिपोर्ट में चक 18 एमकेएस के पं.न. 157/227 मु.न. 4 के किला नं. 2,9,12 में पश्चिमी से उतर दक्षिण होते हुये रास्ता निकटतम रास्ता सुझाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वैकल्पिक अन्य लघुतम मार्ग की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में खारिज किया जाता है। प्रार्थी नये सिरे से निकटतम मार्ग के अनुसार संबंन्धित को पक्षकार बनाकर रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। आदेश खुले में सुनाया गया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaus[illegible]
Date: 2024.11.22 14:22:07 [illegible]
Reason: SelfAttested